28.03.2025 नियत दिनांक को केस स्थगित होने के पश्चात् आज केवा की अधिवक्ता सुश्री पूजा अधिवक्ता मौजूद है। अधिवक्ता मौजूद ने जाहिर किया कि पक्षकार के बीच अभी राजीनामा हो जाने से मौजूद नहीं रहना चाहते हैं। लिहाजा मौजूद के निर्देश को स्वीकार किया जाकर अपील फाईल पर शामिल की जाती है। पत्रावली मैरेज एक्ट नक्ट के तहत होकर अन्य तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश सुनाया गया।

पक्षकार के बीच आपसी राजीनामा हो जाने के कारण मौजूद नहीं रहना चाहते हैं

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर